



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082025-265454
CG-DL-E-18082025-265454

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3601]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 13, 2025/श्रावण 22, 1947

No. 3601]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 13, 2025/SHRAVANA 22, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2025

का.आ. 3693(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 427 तारीख 23/01/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर नगर जिले में रिंग रोड के कि.मी. 59.075 से कि.मी. 67.5 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख “29 जनवरी 2025” को “आज” और “द इंडियन एक्सप्रेस” दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी (37/17, वेस्टकॉट बिल्डिंग, द मॉल रोड, आर बी आई बैंक के सामने, कानपुर नगर) को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर नगर जिले में रिंग रोड के कि.मी. 59.075 से कि.मी.67.5 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: कानपुर नगर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कानपुर					
गांव का नाम: मवइया					
1	१६१५	सरकारी	कृषि	0.5527	डेवलपमेंट बोर्ड कानपुर, नागरिक उड्डयन विभाग, उ०प्र० लखनऊ 1615
2	१६१६	निजी	कृषि	0.0176	परशुराम, अर्जुनसिंह पुत्रगण रघुनाथ 1616
3	१६१७	सरकारी	जंगल	0.004	जंगल (पुरानी परती) 1617
4	१६२२	सरकारी	कृषि	0.1329	डेवलपमेंट बोर्ड कानपुर 1622
5	५९९	सरकारी	कृषि	0.0427	डेवलपमेंट बोर्ड कानपुर, नागरिक उड्डयन विभाग, उ० प्र०

					लखनऊ 599
6	६००	सरकारी	कृषि	0.3517	डेवलपमेंट बोर्ड कानपुर 600
7	६०१	सरकारी	कृषि	0.3942	डेवलपमेंट बोर्ड कानपुर 601
8	६०९	सरकारी	कृषि	0.1269	डेवलपमेंट बोर्ड कानपुर 609
9	६१२	सरकारी	कृषि	0.122	डेवलपमेंट बोर्ड कानपुर 612
10	६१३	सरकारी	कृषि	0.0092	डेवलपमेंट बोर्ड कानपुर 613
11	६१४	सरकारी	कृषि	0.102	डेवलपमेंट बोर्ड कानपुर 614
12	६१५	सरकारी	कृषि	0.041	डेवलपमेंट बोर्ड कानपुर 615
13	६१६	सरकारी	कृषि	0.0318	डेवलपमेंट बोर्ड कानपुर 616
14	६१७	सरकारी	कृषि	0.2405	डेवलपमेंट बोर्ड कानपुर, नागरिक उड्डयन विभाग, उ०प्र० लखनऊ 617
15	६१९	सरकारी	कृषि	0.4066	डेवलपमेंट बोर्ड कानपुर, नागरिक उड्डयन विभाग, उ०प्र० लखनऊ 619

गांव का नाम: कटरी जाना					
16	२	सरकारी	गंगा नदी	0.7271	गंगा नदी 2
17	४	सरकारी	रेता	0.3318	रेता 4
Total				3.6347	

[फा. सं. NHAI/PIU-KNJ/KNP-RR/2022/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th August, 2025

S.O. 3693(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **427 Dated:23/01/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Ring Road in the stretch of land from Km. 59.075 to Km. 67.5 in the district of KANPUR NAGAR in the state of UTTAR PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Aaj**” and “**The Indian Express**” both dated “**29 January 2025**”; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority (37/17, Westcott Building, The Mall Road, Opposite RBI Bank, Kanpur Nagar) has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Ring Road in the stretch of land from Km. 59.075 to Km. 67.5 in the district of KANPUR NAGAR in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: KANPUR NAGAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Kanpur					
Village: Mawaiya					
1	1615	Government	Agriculture	0.5527	Development Board Kanpur, Civil Aviation Department, U.P. Lucknow 1615
2	1616	Private	Agriculture	0.0176	Parshuram, Arjun Singh, sons of Raghunath 1616
3	1617	Government	Jangal	0.004	Jangal(Purani Parti) 1617
4	1622	Government	Agriculture	0.1329	Development Board Kanpur 1622
5	599	Government	Agriculture	0.0427	Development Board Kanpur , Civil Aviation Department, U.P. Lucknow 599
6	600	Government	Agriculture	0.3517	Development Board Kanpur 600
7	601	Government	Agriculture	0.3942	Development Board Kanpur 601
8	609	Government	Agriculture	0.1269	Development Board Kanpur 609
9	612	Government	Agriculture	0.122	Development Board Kanpur 612
10	613	Government	Agriculture	0.0092	Development Board Kanpur 613
11	614	Government	Agriculture	0.102	Development Board Kanpur 614
12	615	Government	Agriculture	0.041	Development Board Kanpur 615
13	616	Government	Agriculture	0.0318	Development Board Kanpur 616

14	617	Government	Agriculture	0.2405	Development Board Kanpur, Civil Aviation Department, U.P. Lucknow 617
15	619	Government	Agriculture	0.4066	Development Board Kanpur, Civil Aviation Department, U.P. Lucknow 619
Village: Katri Jana					
16	2	Government	Ganga Nadi	0.7271	Ganga Nadi 2
17	4	Government	Reta	0.3318	Reta 4
Total				3.6347	

[F. No. NHAI/PIU-KNJ/KNP-RR/2022/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director